

पत्र संख्या-गव्य(आ0-7) 02/2025-(16)-
(पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णियाँ प्रभारी अररिया/अरवल/बाँका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/
मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णियाँ/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/सारण/सिवान।

पटना -15, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटशीर्ष,"2404-डेरी विकास-राज्य स्कीम-003-प्रशिक्षण-0101- प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष -0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत ₹27,04,320/- (सताइस लाख चार हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)11/2013-2812, दिनांक-24.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹4,99,94,000/- (चार करोड़ नित्यानवे लाख चौरानबे हजार रुपये) के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के लघु कृषकों, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हों, को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान/दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना में राज्य के लघु कृषकों, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हों, को गव्य विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण की योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न विवरणी के अनुसार विषयांकित बजट शीर्ष में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत ₹27,04,320/- (सताइस लाख चार हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र निम्नवत राशि अतिरिक्त आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष 0101.20.03- प्रशिक्षण व्यय		
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल योग
1	₹5,40,00,000/-	₹27,88,830/-	₹27,04,320/-	₹54,93,150/-

3) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 235 दिनांक 01-04-2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4) व्यय का विकलन बजटशीर्ष,"2404-डेरी विकास-राज्य स्कीम-003-प्रशिक्षण-0101-प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष -0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से होगा।

5) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।

6) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availibility of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7) विभागीय राज्यादेश सं० 1455 दिनांक 26.03.2025 के आलोक में 08(आठ) जिलों में स्वीकृत नये जिला गव्य विकास कार्यालय हेतु डी0डी0ओ0 कोड/ऑफिस कोड निर्गत होने के उपरांत संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन संबंधित नये जिला गव्य विकास कार्यालय को किया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-
निदेशक (गव्य)

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि- अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बाँका/गोपालगंज/
जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालन्दा/नवादा/पूर्णियाँ/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/
सुपौल/ सारण/सिवान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

21(आ0)

/ पटना -15, दिनांक-

19/09/2025.

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0101- प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत ₹27,04,320/- (रु० सताइस लाख चार हजार तीन सौ बीस मात्र) की राशि का अतिरिक्त आवंटन:-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सामान्य वर्ग के पशुपालकों/कृषकों/प्रशिक्षणार्थियों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु परिवहन/माड़ा मद हेतु अतिरिक्त आवंटित राशि		कुल आवंटन (रूपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	185130	179520	185130	179520
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रमारी-अररिया	93060	90240	93060	90240
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	180180	174720	180180	174720
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	186615	180960	186615	180960
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	186615	180960	186615	180960
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर	93060	90240	93060	90240
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	95535	92640	95535	92640
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	93060	90240	93060	90240
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	95040	92160	95040	92160
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	93060	90240	93060	90240
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	185130	179520	185130	179520
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	92565	89760	92565	89760
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	99495	96480	99495	96480
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	90090	87360	90090	87360
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	93060	90240	93060	90240
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	194040	188160	194040	188160
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	89595	86880	89595	86880
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	275220	266880	275220	266880
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	92565	89760	92565	89760
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, छपरा	184140	178560	184140	178560
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान	91575	88800	91575	88800
योग:-		2788830	2704320	2788830	2704320

(सताइस लाख चार हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र

निदेशक (गव्य)